

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

1. अपील संख्या: 56/20
(जीसीएमएस संख्या 2020/00203)

निर्णय दिनांक:- 9/2/23

1. खेमाराम
2. ईशरराम
3. पूरखाराम
4. दीपाराम
5. चूकी पत्नी मघाराम
6. हरीराम पुत्र मघाराम
7. गंगा नाबालिग पुत्री मघाराम जरिये वली सरक्षक माता चूकी जाति जाट निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

पिसरान जीयाराम

—अपीलांटस्

—बनाम—

1. रामेश्वरलाल
 2. दुलाराम
 3. रूपाराम
 4. हरखाराम
 5. खीवणी पत्नी जोगाराम
 6. अमानाराम
 7. खीयाराम
 8. ताजाराम
 9. शांति पत्नी स्व. आसुराम
 10. गणेशाराम
 11. रेवन्तराम
 12. पारू
 13. पुरा
 14. किस्तुरी
 15. धापू
- पिसरान जोगाराम
- पिसरान आसुराम
- पिसरान केसराराम
- जाति जाट-निवासी पांचू हसील नोखा जिला बीकानेर।
स्टेअ ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।
उपपंजियक नोखा

—रेस्पोडेन्ट्स

18. उगमाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर

—गौण रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15-07-2019
उपखण्ड अधिकारी, नोखा


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



2. अपील संख्या: 57 / 20
(जीसीएमएस संख्या 2020 / 00204)

1. खेमाराम
2. ईशरराम
3. पूरखाराम
4. दीपाराम
5. चूकी पत्नी मघाराम
6. हरीराम पुत्र मघाराम
7. गंगा नाबालिग पुत्री मघाराम जरिये वली सरक्षंक माता चूकी जाति जाट निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अपीलांटस्

-बनाम-

1. रामेश्वरलाल
 2. दुलाराम
 3. रूपाराम
 4. हरखाराम
 5. खीवणी पत्नी जोगाराम
 6. अमानाराम
 7. खीयाराम
 8. ताजाराम
 9. शांति पत्नी स्व. आसुराम
 10. गणेशाराम
 11. रेवन्तराम
 12. पारू
 13. पुरा
 14. किस्तुरी
 15. धापू
- जाति जाट-निवासी पांचू हसील नोखा जिला बीकानेर।
16. स्टेअ ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।
 17. उपपंजियक नोखा

-रेस्पोडेन्ट्स

18. उगमाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर

-गौण रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11-10-2019
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



उपस्थित:-

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री ओम जाखड, अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 5
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 15-07-2019 व 11-10-2019 जिसके द्वारा विधि विरुद्ध तरीक से निर्णय व विभाजन की डिक्री पारित की गई है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।



विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भादला स्थित खेत खसरा नंबर 693 रकबा 10.15 हैक्टेयर, खसराम नंबर 696 रकबा 7.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 697 रकबा 16.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 698 रकबा 3.10 हैक्टर, खसरा नंबर 702 रकबा 6.30 हैक्टेयर खसरा नंबर 703 रकबा 5.07 हैक्टेयर भूमि की कुल 48.17 हैक्टेयर भूमि अपीलांटान एव रेस्पोजेन्टान के संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है, संयुक्त कब्जा काश्त एवं संयुक्त राजस्व रेकॉर्ड खातेदारी चली आ रही है कोई बाहमी विभाजन नहीं हो रखा है। उक्त वादगत भूमि में अपीलान्टान एवं गौण रेस्पोजेन्टान संख्या 18 का 1/2 हक व हिस्सा है रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 5 का 1/8 व रेस्पोजेन्टान संख्या 6 ता 9 का 1/8 व रेस्पोजेन्ट संख्या 10 ता 15 का 1/4 हक व हिस्से में भूमि आती है। सभी रिकॉर्डेड खातेदार संयुक्त खातेदार होते हुए भी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा गलत बयान करते हुए अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान पर ना तो कोई विधिवत तामिल करवाई गई नाही कोई नोटिस दिया गया सारी कार्यवाही एक तरफा तौर पर कि गई।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि इसी वादगत भूमि के बाबत इस न्यायालय में खेमाराम अपीलांट द्वारा एक दावा दिनांक 14.03.2018 दावा संख्या 31/18 खेमाराम बनाम इशरराम आदि विचाराधीन चल रहा था जिसमें न्यायलय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14-03-2018 को प्रार्थना पत्र संख्या 26/18 में जारी कर रखी थी जिसका ज्ञान रेस्पोंडेंट को था इन सभी तथ्यों को छुपाते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय प्राप्त कर ली। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट द्वारा जो शपथ पत्र गवाह प्रस्तुत किये गये थे वह गवाह भूमि के पड़ोसी नहीं है उनके खेत से करीब 13-14 किमी दूर है जिन्हे वादगत भूमि के बारे कोई जानकारी नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय में दावा रेस्पोंडेंट संख्या 1 के द्वारा किया गया था जिसमें शेष हिस्सेदारों का प्रतिवादी बनाया गया था रेस्पोंडेंट के द्वारा जो कॉज आफ एक्शन अंकित किये गये वह भी सभी प्रतिवादी के विरुद्ध थे दावा केवल रेस्पोंडेंट संख्या 1 के हिस्से तक ही डिक्री किया जाना चाहिए था क्योंकि शेष किसी भी हिस्सेदार ने अपने हिस्से के विभाजन के लिए कोई निवेदन नहीं किया था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने रामेश्वर की हक व हिस्से से अधिक भूमि का विभाजन की डिक्री पारीत कि जो विधि विरुद्ध है।



अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन कर कहा कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो दावा डिक्री किया गया उस दावे में प्रतिवादी संख्या 5 व 7 का स्वर्गवास निर्णय करने से पूर्व ही हो गया था अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारीत कि गई वह मृत व्यक्ति के खिलाफ होने के कारण भी निरस्त योग्य है। न्यायलय द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन के प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए बाय मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के प्रस्ताव करने हेतु तहसीलदार को लिखा गया उक्त प्रस्ताव तहसीलदार एवं समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार करवाये जाने के प्रावधान है परन्तु उक्त प्रस्ताव करवाते समय अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दि गई एवं जो प्रस्ताव तैयार किये गये थे वो तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर संबंधित पटवारी द्वारा ही तैयार किये गये है जो कि स्पस्ट रूप से नियम 18 से 21 अवहेलना को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विभाजन की डिक्री जारी करते समय व तहसीलदार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए संयुक्त खातेदारों के कब्जे काश्त व धारण की


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि को नजरअंदाज करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है। अदालत मातहत द्वारा मौके की जाँच किये बिना ही वादी के कथन मात्र पर विश्वास करते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। जबकि इस संबंध में स्पष्ट नियम है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए अपनी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करें। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव संबंधित पटवारी द्वारा तैयार किये गये है व तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर काऊण्टर साईन किये गये है। उक्त प्रस्ताव पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हस्ताक्षर अंकित है, जबकि अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। विभाजन के मामलों में सर्वप्रथम यह देखा जाना होता है कि विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन के प्रतिपादित सिद्धान्त अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है अथवा नहीं? अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध प्रस्ताव के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई है। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त व धारण की भूमि से भिन्न है तथा मौके पर सभी सह खातेदार अलग-अलग स्थान पर बैठे है। जिसको स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त प्रस्ताव तैयार किये गये है, ना ही मौके की जाँच की कोई फर्द ही बनाई गई है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन-फानन में की गई है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए व विभाजन के नियमों पर माईन्ड एप्लाइ किये बिना रेस्पोडेन्ट्स 1 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है।



मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हो सकी थी। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तब प्राप्त हुई जब रेस्पोजेन्ट संख्या 1 मौक पर आये व कथन किया उक्त भूमि का विभाजन हमारे द्वारा करवा लिया गया है। तब जानकारी के दिन से बिना किसी विलम्ब के अपीलांट्स द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहाँ विकल्प को माफ किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कथन किया गया है उस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके की जाँच करते हुए व अपीलांट्स के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

6. अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 5 ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेट संख्या 1 के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम भादला के खेत खसरा नंबर 693 रकबा 10.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 696 रकबा 7.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 697 रकबा 16.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 698 रकबा 3.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 702 रकबा 6.30 हैक्टेयर खसरा नंबर 703 रकबा 5.07 हैक्टेयर भूमि की कुल 48.17 हैक्टेयर भूमि के बाबत दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शों व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये जाने पर रेस्पोजेन्ट्स अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नही आने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार



राजस्थान हाईकोर्ट अधिकारी
जयपुर

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए वादीगण की बहस सुनने के पश्चात् सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त/ हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है व संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलाट्स को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे एवं उनके उपस्थित नही आने पर अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स का न्यायालय के समक्ष यह कथन किया जाना कि वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये व अदालत मातहत द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।



विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने आगे बताया कि विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अर्थात् अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। ऐसीस्थिति में अपीलाट्स का यह कथन कि आराजी जैर का विभाजन करते समय अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति की जाँच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलाट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलाट्स का कब्जा किस स्थान पर है तथा अदालत मातहत द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे के विपरीत जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलाट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलाट्स के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलाट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की कोई क्षति हुई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालन पूर्ण हो चुकी है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त विभाजन का अंकन हो चुका है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-07-2019 व 11-10-2019 के विरुद्ध अपील दिनांक 15-06-2020 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ-साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।



विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 1986 पेज 22, आरआरटी 2002 पार्ट I पेज 318, आरआरटी 2014 पार्ट II पेज 1424, व आरएलडब्ल्यू 2016 पार्ट II पेज 752 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
8. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन दिनांक 15-07-2019 व 11-10-2019 के विरुद्ध अपील दिनांक 15-06-2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स को विधि


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सम्मत तरीके से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे व उनके उपस्थित नही आने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स की अपील मियांद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके हैं तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त रहा है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहाँ मियांद के बिन्दु अर्थात् मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते हैं, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलाट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।



(2) प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम भादला के खेत खसरा नंबर 693 रकबा 10.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 696 रकबा 7.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 697 रकबा 16.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 698 रकबा 3.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 702 रकबा 6.30 हैक्टेयर खसरा नंबर 703 रकबा 5.07 हैक्टेयर भूमि की कुल 48.17 हेक्टेयर भूमि बाबत् रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 15-07-2019 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री व कालान्तर में दिनांक 11-10-2019 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलाट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलाट्स/प्रतिवादीगण को जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मौके व कब्जे काश्त की भूमि के विपरीत जाकर विभाजन की डिक्री पारित की गई है।

(3) इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोजेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के विभाजन की डिक्री जारी करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03-07-2019 की आदेशिका में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रतिवादीगण को जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस के अवलोकन से साबित है कि अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम तो जारी नोटिस की तारीखों में कॉटछांट की गई है तथा उक्त नोटिस पर चस्पा रजिस्टर्ड डाक की रसीद में में वादी/रेस्पोंडेन्ट द्वारा दिनांक 08-06-2019 को नोटिस जारी किया जाना पाया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड नोटिस जारी होने के 30 दिवस के उपरान्त ही किसी पक्षकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08-06-2019 को जारी नोटिस पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 03-07-2019 को अर्थात् 30 दिवस के भीतर ही एकतरफा कार्यवाही सम्पादित कर दी गई। जोकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के विपरीत की गई कार्यवाही प्रथम दृष्टया साबित होती है।



प्रकरण में न्यायालय के समक्ष दूसरा विचारणीय महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि विभाजन के मामलों में विधि का यह सर्वमान्य प्रावधान है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये जावे। इस संबंध में विभाजन के नियम 18 से 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित किये गये हैं। जोकि निम्न प्रकार है:-

नियम 18 - जोत के विभाजन के लिए करार फाइल करना - एक जोत के विभाजन तथा लगाने के कारण का सह अभिधारियों द्वारा किया गया करार अधिकारिता वाले तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। तहसीलदार द्वारा उस करार की शर्तों के अनुसार आदेश पारित करेगा और तदनुसार जोत के विभाजन को प्रभावी करेगा।

नियम 19 - करार के आधार पर डिक्रीत वाद में जोत का विभाजन - यदि जोत के विभाजन के वाद के लम्बित रहने के दौरान उस वाद के सहअभिधारी किसी करार पर आते हैं तो उस वाद को उस करार की शर्तों के अनुसार डिक्रीत किया जावेगा।

नियम 20 - सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन - नियम 19 में उपबंधित को छोड़कर, एक सक्षम


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सहअभिधारी द्वारा लाए गये वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वो बांटी गई है, वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो, डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालना किया जावेगा।

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से से आनुपाति होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एक साथ होगा।

(ग) जहाँ तक संभव हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नहीं दी जायेगी।

(घ) जहाँ तक संभव है, विद्यमान खेतों के टुकड़ें नहीं किये जायेंगे।

(ङ) भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथासंभव, उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

करार द्वारा या न्यायालय के आदेश द्वारा जोत का विभाजन

नियम 21 - नक्शा बनाना और उप-विभाजित खेतों का अंकन करना - तहसीलदार नक्शा बनायेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गा भू-खण्ड अलग अलग रंगों में दिखाया जावेगा और यदि किसी खेत को उप विभाजित किया गया है तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

(4) उक्त प्रावधानों के अनुसार सभी पक्षकारों के धारण की भूमि/कब्जे काश्त की भूमि/अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी भूमि/रास्ते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किये जाने के प्रावधान विधि द्वारा स्थापित किये गये हैं। उक्त प्रावधान की पालना आज्ञापक है। प्रस्तुत मामलें में हमने अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। उक्त नजरी नक्शा तैयार करते समय संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं आकर पटवारी द्वारा नजरी नक्शें तैयार करना व उक्त प्रस्ताव पर




राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर


तहसीलदार द्वारा काऊण्टर साईन अंकित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जोकि विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्णरूप से अवहेलना की श्रेणी में आता है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत भूमि के बाबत प्रस्तुत नजरी नक्शों पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति अथवा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये व अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से जोत के विभाजन के नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।



अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश व डिक्री दिनांक 15-07-2019 व 11-10-2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 31/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
बीकानेर